

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून में आढू व लोकाट के फलों के ग्रन्थियों जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, की खुली नीलामी (Open Auction) दिनांक 12.04.2023 को प्रातः 11-00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय में संपन्न की जायेगी :—

क्रम संख्या	फल की फसल का नाम, प्रजाति एवं जहाँ फल स्थित है।	फलों के पेड़ों की संख्या	फलों की फसल की नीलामी की अवधि	प्रत्येक ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण राशि का विवरण
1	आढू (शान ऐ पंजाब) – मध्यमी तालाब के पास।	52	जुलाई, 2023	रु0 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)
2	आढू (शान ऐ पंजाब) – फौरेज पार्क की साइट।	38	जुलाई, 2023	रु0 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)
3	लोकाट (गोल्डन येलो) – फौरेज पार्क की साइट।	16	जुलाई, 2023	रु0 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)

नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- उपर्युक्त फलों के ग्रन्थियों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 12-04-2023 को प्रातः 10-30 बजे से 11-00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:—
 - प्रत्येक फल की फसल के अनुसार पंजीकरण नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun के पक्ष में देय हो।
 - बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
 - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपि।
 - बोलीदाता के पेन कार्ड की प्रतिलिपि, यदि है।
 - बोलीदाता के जी0एसी0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि, यदि है।
- नीलामी स्थल पर जिन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया जायेगा, केवल उन्हीं व्यक्तियों को टोकन जारी करते हुए नीलामी समिति के समक्ष उपस्थित रहते हुए बोली लगाने का अधिकार होगा।
- अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात वापिस कर दिया जायेगा।
- प्रत्येक फल की फसल का नीलामी ठेका का आधार अधिकतम बोली दर होगी।
- बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित विक्रय/नीलामी समिति अपनी रिपोर्ट उन्हे प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय


११

- के उपरान्त ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सफल बोलीदाता को नीलामी के तुरन्त पश्चात कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में उपलब्ध POS मशीन द्वारा अथवा डिनांड ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो को जमा करानी होगी।
 7. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ-साथ नीलामी वाले दिन 25 प्रतिशत राशि के साथ जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के 60 दिन बाद आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वपिस की जायेगी। ठेकेदार द्वारा बगीचे को किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने अथवा ठेके ला संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
 - 8- सफल बोलीदाता को नीलामी राशि का शेष 75 प्रतिशत सक्षम अधिकारी महोदय की स्वीकृति के पश्चात सात कार्य दिवस के भीतर तल अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई अथवा संस्थान मुख्यालय में POS मशीन अथवा डिमांड के माध्यम से जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो जमा कराना होगा।
 9. सफल बोलीदाता को उपरोक्त शेष 75 प्रतिशत नीलामी राशि के साथ-साथ नीलामी ठेके का अनुबंध पत्र रु0 100/- के नॉन-जुडिशियल रस्टॉप पेपर में नोटराइज्ड करवाकर प्रस्तुत करना होगा। इस अनुबंध पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा नीलामी आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
 10. निश्चित समय अवधि में उपरोक्त 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं करायी जाने तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत ना किये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता के पक्ष में छोड़ी गयी नीलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि तथा नीलामी ली 25 प्रतिशत जमा करायी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें तथा संस्थान संबंधित पेड़ों के फलों की पुनः नीलामी किये जाने हेतु पूर्ण रूप से रखतंत्र होगा।
 11. यदि सफल बोलीदाता नीलामी ले दिन ही नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराना चाहता है तो संस्थान को यह भी स्वीकार्य होगा।
 12. सफल बोलीदाता को उपरोक्त सभी राशि तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बगीचे में प्रवेश तथा फलों को तोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
 13. बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा।
 14. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के संदर्भ में जना करायी जाने वाली संपूर्ण राशि की व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा की जानी होगी। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से उक्त राशि का भुगतान/जमा कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि नीलामी ठेका अवधि के दौरान किसी भी समय संस्थान के संद्वान में यह तथ्य आता है कि ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है तब ऐसी स्थिति में ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी कर दिया जायेगा।
 15. सफल बोलीदाता के पक्ष में नीलाम किये गये बगीचे की देख-रेख, सुरक्षा, फल तोड़ने, तोड़े हुए फलों को कार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। संस्थान इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा। फलों के किसी भी प्रकार नुकसान को जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
 16. सफल निविदादाता द्वारा अपने कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों द्वारा यदि संस्थान के किसी भवन, पेड़ व अन्य सम्पत्ति को हानि पहुँचायी जाती है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा समिति का गठन करते हुए नुकसान का आकलन किया जायेगा जिसकी भरपाई ठेकेदार स्वयं को करनी होगी।

17. नीलाम किये गये फलों के बगीचे की फसल तथा पेड़ों की देख-रेख, सुरक्षा इत्यादि का कार्य संबंधित ठेकेदार का होने के कारण यदि उक्त बगीचों में किसी प्रकार की पेड़ काटने, आगजनी इत्यादि की घटना घटित होती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को तुरन्त प्रभाव से घटना पर कायू पाये जाने की उचित कार्यवाही पूर्ण करते हुए घटना की सूचना तुरन्त प्रक्षेत्र प्रभारी/अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी को तत्काल दूरभाष/मोबाईल/लिखित में देनी होगी।
18. सफल बोलीदाता को नीलामी ठेके का संचालन, फलों की तुड़ाई इत्यादि का कार्य स्वयं अपनी देख-रेख में ही पूर्ण करना होगा। सम्बन्धित ठेकेदार आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी धोषित नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्यारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार का इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुयी सम्पूर्ण राशि जब्ता कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
19. फल बगीचों में अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पत्ति लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की देख-रेख में पूर्ण किये जायेंगे जिसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
20. ठेका संचालन में ठेकेदार द्वारा लगाये गये अपने कर्मचारियों लो यदि किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। संस्थान इस प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार के हर्जाने के लिए जिम्मेदार होगा। अतः श्रमिक से संबंधित सभी नियमों की पालना व क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
21. ठेका संचालन में संस्थान किसी भी प्रकार से कोई श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई औंजार, लाठी, टॉर्च आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
22. यदि ठेकेदार बगीचे के नजदीक रात को रखवाली के लिए अथवा फलों को तोड़कर रखने के लिए अस्थायी टेट्टनुमा झोपड़ी बनाना चाहे तो प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
23. यदि ठेकेदार झोपड़ी में अथवा अपने दैनिक कार्य हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत क्लेक्शन लेना चाहे तो उसे प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/अधीक्षक को लिखित सूचित कर मीटर रिडिंग के आधार पर निर्धारित विद्युत मूल्य अनुसार विद्युत क्लेक्शन दिया जा सकता है।
24. ठेकेदार द्वारा बगीचों की पहरेदारी, निगरानी व फल आदि तोड़ने हेतु कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि सत्यापित करते हुए प्रक्षेत्र अधीक्षक (Farm Superintendent)/ सुरक्षा अधिकारी को जमा करानी होगी, उक्त सूचना के अभाव में किसी भी ठेकेदार श्रमिक को फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
25. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
26. ठेके से संबंधित किसी भी मामले के लिए ठेकेदार केवल प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र अधीक्षक के संपर्क करेगा।
27. जहाँ भी किसी भी बगीचा/लोकेशन में दो अथवा दो से अधिक फलों की फसलें होंगी उसकी पूरी सुरक्षा/देख-देख की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
28. ठेकेदार फलों के बगीचे से प्राप्त फराल की उपज संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार उपज के आंकलन हेतु प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र को देंगे। सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप दस्तावेज पौध विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
29. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।

30. उपरोक्त फलों की फसल की स्थिति का आंकड़ा बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व करते हुए तथा पूर्ण रूप से सतुष्ट होते हुए ही अपनी बोली प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है। यदि मौसम अथवा अन्य किसी कारण से फेडों पर कम फल आता है अथवा फल नहीं आता है अथवा किसी अन्य कारण से फलों का नुकसान होता है इत्यादि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की वार्ता/ लक्धन/ शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
31. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुर्ड में उपर्युक्त फलों के बारीचों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच नीलामी नोटिस जारी होने की तिथि से दिनांक 11.04.2023 तक फार्म/प्रक्षेत्र के अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति/निगरानी में कर सकते हैं।
32. विना कोई कारण बताये इस ठेकेसे सम्बन्धित प्राप्त बोलियों लो आशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
33. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
34. इस ठेकेसे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
35. उपर्युक्त नीलामी ठेकेसे सबधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेंगे और किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं



प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक 28/03/23
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुर्ड